आदेश

11.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र कवास पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम ढूंढा पटवार क्षैत्र कवास में स्थित खेत खसरा संख्या 1070/373 रकबा 08.04 बीघा व खसरा संख्या 1104/373 रकबा 07.18 बीघा के आये हुए है। अप्रार्थीगण उसके खेत में जबरन कब्जा करने की नियत से रांगे खोद रहे है, जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रोके जाने का निवेदन किया।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रकट नही होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner